—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 2000 (कार्तिक 6, 1922)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 2000 (KARTIKA 6, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

संख्या- एफ .37-6/विधायी/2000 :- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 14 तथा धारा 23 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अधो-लिखित अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है; निरस्त की जाने वाली अधिसूचनाएं है-

(i) जी एस आर 387- दिनांक 23 जून, 1990
(ii) जो एस आर 388- दिनांक 23 जून, 1990
(iii) जो एस आर 389- दिनांक 23 जून, 1990
(iv) जो एस आर 390- दिनांक 23 जून, 1990
(v) जो एस आर 184- दिनांक 28 मार्च, 1994

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इन विनियमों में-

(i) " अधिनियम" का अर्थ है- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52)।

(ii) " परिषद्" का अर्थ है- अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्।

(iii) " क्षेत्रीय समिति" का अर्थ है- अधिनियम की धारा 14 के अधीन स्थापित समिति।

3. क्षेत्रीय समिति : क्षेत्रीय समितियां निम्नलिखित होंगी: -

क) उत्तरी क्षेत्रीय समिति
ख) दक्षिणी क्षेत्रीय समिति
ग) पश्चिमी क्षेत्रीय समिति
घ) पूर्वी क्षेत्रीय समिति
ङ) केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति
च) उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रीय समिति
छ) दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय समिति

IndiaCode

4. क्षेत्रीय समितियों का संघटन , क्षेत्रीय समितियों के गठन संबंधी दिनांक 19 जनवरी, 1995 के विनियम जो एस आर 63 के अनुरुप तथा समय-समय पर यथा-अधिसूचित रुप का होगा।

5. **क्षेत्रों का सीमांकन**

क्षेत्रीय समितियां और उनके प्रचालन क्षेत्र इस प्रकार से होंगे:

क्र.सं.	क्षेत्रीय समिति	कार्यालय	प्रचालन क्षेत्र
1.	उत्तरी क्षेत्रीय समिति	कानपुर	उत्तर प्रदेश एवं बिहार
2.	दक्षिणी क्षेत्रीय समिति	चेन्नई	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं पांडिचेरी
3.	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	मुम्बई	गोवा, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादरा एव नगर हवेली
4	पूर्वी क्षेत्रीय समिति	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, अडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा उड़ीसा
5.	केन्द्रीय क्षेत्रीय समिति	भोपाल	मध्यप्रदेश एव गुजरात

6.	उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	चंडीगढ़	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली एवं चंडीगढ़
7.	दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	बंगलौर	कर्नाटक, केरल एवं लक्षद्वीप

(आर.एस. निर्जर)
सदस्य सचिव

IndiaCode

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi the 18th day of September 2000

No.F.37-6/Legal/2000

In exercise of powers conferred by Section 14 and Section 23 (2) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (Act No. 52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations in supersession of following Notification; namely:

(i) GSR 387 dated 23rd June, 1990
(ii) GSR 388 dated 23rd June, 1990
(iii) GSR 389 dated 23rd June, 1990
(iv) GSR 390 dated 23rd June, 1990
(v) GSR 184 dated 28th March, 1994

IndiaCode

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

i) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Amendment) Regulations,2000, in respect of demarcation of Regional Committees and its jurisdiction.

ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS

In these regulations, unless the context otherwise reguires:

(i) 'Act' means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987).

(ii) 'Council' means the All India Council for Technical Education established under Section 3 of the Act.

(iii) 'Regional Committee' means a Committee established under Section 14 of the Act.

3. REGIONAL COMMITTEE: There shall be following Regional Committee:-

a) Nothern Regional Committee.
b) Southern Regional Committee.
c) Western Regional Committee.
d) Eastern Regional Committee.
e) Central Regional Committee.
f) North Western Regional Committee.
g) South Western Regional Committee.

4. Composition of the Regional Committees shall be as per regulation GSR 63, January 19, 1995 of constitution of Regional Committee and notified from time to time.

5. DEMARCATION OF REGIONS:

The Regional Committees shall have the following regions of their operation:

Sr. No.	Regional Committee	Place of Office	Region of Operation
1.	Northern Regional Committee	Kanpur	Uttar Prades and Bihar
2.	Southern Regional Committee	Chennai	Tamilnadu, Andhra Pradesh and Pondicherry
3.	Western Regional Committee	Mumbai	Goa, Maharashtra, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli.

IndiaCode

4.	Eastern Regional Committee	Calcutta	West Bengal, Assam, Tripura, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands and Orissa.
5.	Central Regional Committee	Bhopal	Madhya Pradesh and Gujarat.
6.	North Western Regional Committee	Chandigarh	Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Delhi and Chandigarh.
7.	South-western Regional Committee	Bangalore	Karnataka, Kerala and Lakshadeep.

IndiaCode

(R.S. Nirjar)
Member Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000